बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना।

संख्या–..................... भारत संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य में कार्यरत संवाद प्रतिनिधियों को ग्रूप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित वित्तीय अंशदान तथा उसके निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना नियमावली, 2014

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ एवं लागू होना –
(i) यह नियमावली "बिहार पत्रकार बीमा योजना नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।.
(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
(iv) यह नियमावली उन सभी संवाद प्रतिनिधियों पर, जो बिहार राज्य में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र बिहार राज्य है, जिनका निवास स्थान आवेदन पत्र में उल्लिखित कार्यस्थान/पदस्थापन के स्थान पर है;

उन समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं/ समाचार एजेंसियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज मीडिया के संवाद प्रतिनिधियों, जो कम से कम 50 प्रतिशत समाचार अथवा समाचार–विश्लेषण का प्रकाशन/प्रसारण करते हैं तथा

स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त के सन्दर्भ में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत प्रेस प्रमाण पत्र धारकों (बीमा संबंधी आवेदन पत्र भरने के समय मान्य) के संबंध में लागू होगी।

2 परिभाषाएँ – इस नियमावली में जबतक विषय और सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, बिहार, पटना;

(ii) सचिव/प्रधान सचिव से अभिप्रेत है सचिव/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग;

(iii) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग;

(iv) "पत्रकार" से अभिप्रेत है संवाद प्रतिनिधि जो किसी गैर सरकारी प्रिंटमीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/न्यूज मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है।

(v) "ग्रूप" से अभिप्रेत है बीमा योजना लागू होने की तिथि से बीमाधारक संवाद प्रतिनिधि सहित उसके स्पाउज+2 निर्भर बच्चे।

(vi) "बीमा" से अभिप्रेत है ऐसा अनुबंध जो निश्चित अवधि के लिए बीमितों के ग्रूप में स्वास्थ्य–लाभ विषयक इलाज–खर्च हेतु तथा बीमा धारक संवाद प्रतिनिधि के सन्दर्भ में व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता/अशक्तता होने पर उक्त को देय लाभ के लिए किया गया है।

(vii) "प्रिंट मीडिया" से अभिप्रेत है "नियतकालीन प्रकाशन" वाले समाचार/पत्रिका जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों पर टीका–टिप्पणी भी अन्तर्विष्ट हों।

(viii) "इलेक्ट्रॉनिक मीडिया" से अभिप्रेत है "नियतकालीन मीडिया संगठन" जो न्यूज बुलेटिन/करेंट अफेयर्स का प्रसारण करता हो तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करता हो;

(ix) "न्यूज मीडिया" से अभिप्रेत है समाचारों और टिप्पणियों का प्रकाशक/प्रसारक और इसमें समाचार पत्र, वायर सर्विस/ नन वायर सर्विस, न्यूज एजेंसी, न्यूज फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेन्सी, न्यूज पोर्टल शामिल हैं;

(x) "संपादक" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1867 के अधीन समाचार पत्र का घोषित संपादक हो;

(xi) "नियोजक" से अभिप्रेत है आवेदक के संस्थान में पदधारक व्यक्ति जिसे उस संस्थान में नियोजन का अधिकार प्राप्त है;

(xii) "ब्यूरो प्रमुख" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो विहित नियमों के अधीन एवं प्रक्रिया के अनुसार उस संस्थान का ब्यूरो प्रमुख घोषित किया गया हो;

3. बीमा की राशि – बीमाधारक संचार प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 (पाँच) लाख रू0 का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को मेडिक्लेम विषयक भी कुल 5 (पाँच) लाख रू0 तक के चिकित्सा–खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी।

4. बीमा की अवधि – बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना की अवधि एक वर्ष होगी। संचार प्रतिनिधि को, बीमा अवधि पूरा होने के पूर्व, नए वर्ष के लिए बीमा विषयक समस्त वांछनीय कार्रवाई पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

5. प्रस्तावित बीमा योजना के संबंध में योजना की शर्तों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष, सरकारी लोक उपक्रम की बीमा कंपनियों से कोटेशन प्राप्त कर, न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले एजेंसी के साथ दर वार्त्ता के आधार पर, बीमा का प्रीमियम सचिव/प्रधान सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के द्वारा निश्चित किया जा सकेगा।

6. प्राप्त कोटेशनों की न्यूनतम दर के आधार पर सफल बीमा कम्पनी के साथ एम0ओ0यू0 किया जायेगा जिसमें सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की तरफ से प्रधान सचिव/सचिव/ निदेशक तथा बीमा कम्पनी की तरफ से अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

7. बीमा की प्रभावशीलता – संचार प्रतिनिधियों के अंश–राशि सहित सम्पूर्ण बीमा राशि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी के कोष में हस्तान्तरण की तिथि से बीमा प्रभावी माना जायेगा।

8. संचार प्रतिनिधि को प्रत्येक वर्ष बीमा कम्पनी द्वारा 5.00 (पांच) लाख रू0 तक के बीमा हेतु अवधारित वार्षिक प्रीमियम की 20 (बीस) प्रतिशत राशि बैंकर चेक/ चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के पदनाम से यथानिर्दिष्ट खाते में यथासूचित तिथि तक जमा कराना आवश्यक होगा। निर्धारित प्रीमियम के वार्षिक किश्त की 80 (अस्सी) प्रतिशत राशि सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा जमा करायी जायेगी।

9. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा प्राप्त राशि की जमा एवं भुगतान हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पदनाम से बचत खाता खोला जायेगा तथा उसमें सारी प्रीमियम राशि जमा की जायेगी।

10. निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा उक्त जमाकृत राशि का भुगतान बैंकर चेक/चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुबंधित बीमा कम्पनी को किया जायेगा।

11. बीमाधारक संचार प्रतिनिधि को बीमा–कम्पनी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में आश्रितों (पति/पत्नी+ 2 बच्चों) के विवरण तथा दावा प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशिती की घोषणा सहित उनका पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा।

12. इलाज या दुर्घटना की सूचना तत्काल अधिकतम सात दिवस के भीतर बीमा–कम्पनी के जिला कार्यालय सहित सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, पटना को सूचित करना आवश्यक होगा।

13. बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014 की शर्तें बिहार सरकार की ओर से प्रधान सचिव/ सचिव/ निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग तथा अनुबंधित बीमा कम्पनी के बीच संपन्न एम0ओ0यू0 के आधार पर नियत मानकों के अनुसार विनियमित होंगी।

14. इस योजना के तहत बीमितों को अस्पतालों में इलाज हेतु "नगद रहित सुविधा" के मामले में अनुबंधित बीमा कम्पनी से संबद्ध अस्पतालों में ही यह राहत उनके द्वारा नियत टी0पी0ए0 (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद मिलेगी तथा जो अस्पताल उनकी सूची में नहीं हैं वहाँ अनुबंधित बीमा कम्पनी के द्वारा नियत टी0पी0ए0 (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) के आकलन के बाद संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपर्युक्त विषयक सभी तरह के संव्यवहार की जानकारी बीमा कम्पनी द्वारा तत्काल सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को दी जायेगी।

15. बीमा हेतु पात्रता तथा अनिवार्य शर्तें –

(i) "बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014" बिहार राज्य के संचार प्रतिनिधि के लिए ग्रुप बीमा के रूप में लागू होगी। इस बीमा योजना में संचार प्रतिनिधि के पत्नी/पति+2 निर्भर बच्चे शामिल रहेंगे। पुत्र की उम्र सीमा संबंधी पात्रता 23 वर्ष तक रहेगी और यदि पुत्र किसी बोनाफाईड संस्थान में अध्ययनरत है तो 25 वर्ष तक आच्छादित होगा एवं पुत्री अविवाहित रहने तक आच्छादित रहेगी।

(ii) उक्त बीमा योजना के तहत बीमित सभी व्यक्ति की पूर्व से ज्ञात/अज्ञात बीमारियाँ बीमाच्छादन हेतु सम्मिलित रहेंगी एवं प्रतीक्षा अवधि की कोई शर्त्त नहीं रहेगी।

(iii) यह बीमा एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा। साथ ही; प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान रहेगा।

(iv) इस बीमा योजना में मेडिक्लेम के अन्तर्गत मातृत्व संबंधी मामले आच्छादित नहीं होंगे।

(v) बीमित को इलाज के दरम्यान "नगद रहित सुविधा" इस नियमावली के नियम–14 के अधीन देना आवश्यक होगा।

(vi) इस बीमा योजना में ग्रुप मेडिक्लेम की पॉलिसी हेतु 5,00,000 (पांच लाख) रुपये, जो फ्लोटिंग बेसिस पर रहेगा; एवं व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में 5,00,000 (पांच लाख) रुपये तक का बीमा किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होगा।

(vii) बीमा धारक संचार प्रतिनिधि की उम्र सीमा 21–70 वर्ष होगी।

(viii) बीमा धारक संचार प्रतिनिधि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन तथा इसके समकक्ष मान्य होगी।

(ix) आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख के हस्ताक्षर से बीमाधारक संचार प्रतिनिधि के पक्ष में निर्गत सवैतनिक पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रतिनिधि होने के नियुक्ति पत्र/ संबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(x) आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा पांच स्टाम्प साइज फोटो एवं जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (जो संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षरित हो) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

(xi) आवेदन के साथ संस्थान के पंजीयक निबंधन संख्या की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(xii) आवेदक संचार प्रतिनिधि किसी भी अन्य बीमा योजना अथवा मेडिक्लेम पॉलिसी से आच्छादित हों तो उसका पूरा विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

(xiii) बीमाधारक संचार प्रतिनिधि के लिए पत्रकारिता संबंधी न्यूनतम 5 (पाँच) वर्ष के कार्यानुभव विषयक संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(xiv) स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आवेदन के समय मान्य प्रेस प्रमाण पत्र (सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत) की फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(xv) आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा उनके बैंक एकाउन्ट के चेकबुक से उनके हस्ताक्षर से निर्गत क्रॉस्ड/कैंसिल्ड ब्लैंक चेक (इसीएस सुविधा, एमआईसीआर तथा आईएफएससी कोड की जानकारी हेतु) संलग्न करना होगा।

(xvi) आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा बीमा विषयक अंशदान की राशि जमा करने से संबंधित प्राप्ति रसीद की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

(xvii) आवेदक संचार प्रतिनिधि किसी आपराधिक/न्यायिक मामले में अभियुक्त/आरोपी है, तो पूर्ण विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा यदि नहीं है तो शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(xviii) आवेदक संचार प्रतिनिधि को अपने आश्रितों का पूर्ण विवरण देना होगा।

(xix) आवेदक संचार प्रतिनिधि को नाम निर्देशिती की घोषणा करते हुए उसका पूर्ण विवरण देना होगा।

(xx) आवेदक संचार प्रतिनिधि यदि संस्थान/फर्म छोड़ते हैं तो उसकी तत्काल सूचना आवेदन अनुशंसित करने वाले संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख द्वारा सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग तथा बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा।

(xxi) समाचार पत्र/पत्रिका की अंकेक्षित प्रसार संख्या (भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त प्रसार संबंधी प्रमाण पत्र) की प्रति संलग्न करनी होगी।

(xxii) समाचार एजेंसी को निबंधन संख्या कम्पनी निबंधन नियम के तहत संलग्न करना होगा।

(xxiii) राज्य से प्रकाशित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र की प्रसार संख्या का आर०एन०आई० का प्रमाण–पत्र हो।

(xxiv) राज्य के बाहर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की आर०एन०आई० द्वारा प्रमाणित 1 लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या हो तथा राज्य में उसकी प्रसार संख्या न्यूनतम 10 हजार हो।

(xxv) फीचर/समाचार अभिकरण के राज्य में 25 (पचीस) हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले न्यूनतम 10 (दस) दैनिक समाचार पत्र सशुल्क ग्राहक होने का प्रमाण हो।

(xxvi) निजी चैनल के समाचार से सम्बद्ध संचार प्रतिनिधियों को जिनके चैनल का प्रसारण राज्य के कम से कम 20 (बीस) जिलों में होता हो

(xxvii) बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014 के अधीन नियत प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा बीमाधारक संचार प्रतिनिधि द्वारा क्रमशः 80 तथा 20 के अनुपात में किया जायेगा।

16. बीमा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया --

(i) बीमा इच्छुक संचार प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के निदेशक को अपने–अपने जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट 'क' तथा 'ख') में वांछित अनुलग्नक सहित देना होगा।

(ii) आवेदन की प्रक्रिया हेतु सबसे पहले सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसे पूरा करने के बाद आवेदक को आई० डी० कोड जेनरेट होगा।

(iii) आवेदक पत्रकार द्वारा वांछित पात्रता की प्रविष्टि के उपरांत ही प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकेगा जिसे हार्डकापी के रूप में आवेदक द्वारा संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) फार्म डाउन लोड करने के बाद संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय में उसे जमा किया जायेगा तथा संबंधित जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी विहित प्रक्रियापूर्वक प्रपूरित प्रपत्र को पाँच दिनों के अंदर राज्य मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के अधीन प्रेस शाखा के अंतर्गत गठित पत्रकार बीमा कोषांग में अपनी अनुशंसा सहित ऑन लाईन अग्रसारित करेंगे तथा हार्ड कॉपी भी भेजेंगे।

(v) राज्य मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में प्रेस शाखा के अधीन एक "पत्रकार बीमा कोषांग" का गठन किया जायेगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस) द्वारा की जायेगी।

(vi) उक्त कोषांग में एक असिस्टेंट (मिनिस्ट्रियल स्टाफ) का पदस्थापन किया जायेगा। साथ–ही; एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर भी विशेष तौर पर पत्रकार बीमा योजना के कार्य हेतु पदस्थापित रहेंगे।

(vii) बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014 के मानक संचालन की प्रक्रिया हेतु एक विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किया जायेगा जिसमें आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा आवेदन किये जाने हेतु विहित पात्रता संबंधी शर्तों के आलोक में वांछित प्रविष्टियां भरे जाने संबंधी तथ्यों के संपूर्ण उल्लेख सहित संगत आवेदन प्रपत्र को रखा जायेगा।

(viii) जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी सभी आवेदनों को तीन प्रतियों में प्राप्त कर एक प्रति सुरक्षित रखेंगे तथा दो प्रति राज्य मुख्यालय को समेकित रूप से सुलभ करा देंगे।

(viii) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में एक रोकड़ बही रोकड़पाल द्वारा संधारित की जायेगी जिसमें बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना का लेन–देन दर्ज किया जाएगा।

(ix) उक्त लेखा का अंकेक्षण वित्त विभाग (अंकेक्षण) द्वारा प्रति वर्ष किया जायेगा।

17. "बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना", नियमावली, 2014 के आरंभ के पूर्व से संचालित "बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष 2010" की प्रासंगिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और इसमें संचित राशि का उपयोग बीमित संचार प्रतिनिधियों के लिए राज्यांश के भुगतान में प्रयुक्त होगा। साथ ही बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष के मुख्यशीर्ष 2220 सूचना तथा प्रसार, उप मुख्यशीर्ष 60–अन्य, लघु शीर्ष 001 निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0001 में बिहार पत्रकार कल्याण कोष के स्थान बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए प्रत्येक वर्ष यथावश्यक राज्यांश के रूप में देय कुल प्रीमियम राशि का बजटीय उपबंध किया जा सकेगा।

18. बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, नियमावली, 2014 अधिसूचित होने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा लागू बिहार राज्य पत्रकार कल्याण कोष –2010 विलोपित समझा जायेगा।

19. दावा – बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके नाम निर्देशिती सदस्य अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर स्वयं बीमा धारक को (i) दावा हेतु अवधारित प्रपत्र में सूचना (ii) पुलिस में दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 की प्रति (iii) यथा आवश्यक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र और (iv) मृत्यु प्रमाण पत्र बीमा कम्पनी के कार्यालय में निर्दिष्ट समयावधि में जमा कराने होंगे।

20. बीमा नियमावली में समय–समय पर यथावश्यक संशोधन, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा किए जा सकेंगे।

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना

ज्ञापांक–प्रेस(शाखा)212/2014........324........सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 26/5/2014

प्रतिलिपि– उप सचिव, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग को संकल्प की दो हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना

ज्ञापांक–प्रेस(शाखा)212 / 2014........324........ सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 26/5/2014

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की दो हार्ड कॉपी सी0डी0 सहित बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन के लिए प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि उपर्युक्त बिहार गजट अंक की 100 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना

ज्ञापांक–प्रेस(शाखा)212 / 2014........324........ सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 26/5/2014

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना

ज्ञापांक–प्रेस(शाखा)212 / 2014........324........ सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक– 26/5/2014

प्रतिलिपि– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

सरकार के सचिव
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना।

Government of Bihar
Information and Public Relations Department

Notification

No-------   Dated, Patna

In exercise of powers conferred by the proviso to articles 162 of the constitutions of India, the Government of Bihar makes hereby "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" to provide, financial benefit and other facilities, under group mediclaim and personal accident insurance scheme to the working media representative of the State of Bihar and to regulate the terms and conditions, of its registration and related to its financial contribution.

Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014

1. Short Names, Extension, Commencement -
   (i) These Rules may be called as "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014".
   (ii) Its extension would be entire state of Bihar.
   (iii) It will come into force at once.
   (iv) These rules will be applicable on all those media representatives, who reside in Bihar, and his place of working is Bihar and place of working / posting is at the place, mentioned in the application.

   In terms of those media representatives who belong to any Newspapers/ Magazines/ News Agencies / Electronic Media / News Media, which publish at least 50% news or comments on news.

   In terms of Independent Journalists, Press accreditation cardholder (Valid at the time of filling of the application form related to insurance issued by IPRD), it will be applicable.

2. Definition- In these rules, unless the context otherwise requires-
   (i) "Government" means " Information and Public Relations Department" Government of Bihar, Patna
   (ii) "Priacipal Secretary/ Secretary" means- " Principal Secretary/ Secretary, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna.
   (iii) "Director" means "Director, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna.
   (iv) "Journalist" means "media representative, who represents any non government print media/ electronic media / news media".
   (v) "Group" means policyholder media representative along with his /her spouse + two dependant children from the date of effectiveness of Insurance scheme.
   (vi) "Insurance" means such contract, which is for the healthcare treatment expenses to the insured in group, for a prescribed

period, and to provide, due benefit to them in case of death in personal accident or permanent handicapped ness / disability.

(vii) "Print Media" means Newspaper/ Magazine of "Periodical Publication" in which public news or comments on public news, is included.

(viii) "Electronic Media" means "Periodical Media Organizations" which telecast News/ Bulletin and follows the instructions of Information and publication Ministry, Government of India.

(ix) "News Media" means Publishers / circulators of News and comments in which News paper, wire services / Non wire services, news agency, news feature agency, electronic media agency, news portal are included.

(x) "Editor" means the person who is, declared editor of news paper under Press and Books Registration Act 1867.

(xi) "Employer" means the post holder, which has got right the power of employment in the organization.

(xii) "Bureau Chief" means the person, who has been declared as Bureau Chief of that organisation under the prescribed rule and procedure.

3. The applicant media representative will be covered up to Rs. 5 (five) lacs through personal accident insurance under this scheme in additon to this the facilities of medical expenses up to Rs. 5 (five) lacs would be provided to all their dependents who are insured through group mediclaim under this scheme.

4. The Period of Insurance- The terms of "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" would be for one year. Media representative have to complete all the paraphernalia of the renewal for the next year, prior to lapse of the period of insurance.

5. According to the terms and conditions, of proposed insurance scheme, every year, after obtaining quotation from government undertaking public sector Insurance Companies, the Premium of Insurance would be decided by Secretaries / Principal Secretaries, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna on the basis of negotiations with the lowest bidder.

6. On the basis of lowest rate, in quotation, M.O.U will be signed with lowest bidder insurance company, in this procedure Principal Secretary/ Secretary, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna on behalf of the department and an authorized officer on behalf of the Insurance Company, found fit on the basis of lowest rate, in quotation will sign the M.O.U.

7. Effectiveness of Insurance- Insurance will be effective from the date of transfer of total Insurance amount including the share amount of applicant Media representative in the account of insurance company by the Department.

8. It will be necessary for Media Representative, to deposit 20% share of the annual premium, as determined for the insurance by contracted insurance company for the sum insurance up to Rs. 5 lacs, through banker's cheque/ cheque / demand draft in favour of account of designation Director Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna in the bank as directed, up to the notified date. As against the determined annual premium amount 80% share will be deposited by Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna.
9. A saving account in the nationalized bank will be opened in the name of designation Director, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna for the deposit and payment of amount obtained and for deposition of all amount of premium.
10. Payment of said deposited amount, will be made to the contracted Insurance Company through bankers cheque / cheque/ Demand Draft by Director, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna .
11. It will be obligatory for applicant media representative to give details of dependents (spouse + two children) for reimbursement of medical expenses and full details of their nominee with declaration to get claim.
12. It is obligatory for media representative to intimate of an accident or treatment to the district office of Insurance Company along with Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna immediately within a maximum period of seven days.
13. The terms and conditions of "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" will be regulated, according to the set standard, on the basis of M.O.U signed by Principal Secretary/ Secretary/ Director, IPRD on behalf of Government of Bihar and contracted Insurance Company.
14. The treatment of Insurant in the hospitals tied up with the contracted insurance company only will be covered under cashless facility after the estimation of T.P.A (third party administrator) and the expenses against treatments availed in non tied up hospitals with contracted insurance company will be reimbursed after the estimation of T.P.A (third party administrator). All transactions concerning above mentioned will be intimated immediately to the Department by the insurance company.
15. Terms and condition for the eligibility of insurance-
    (i) "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" will be implemented for the media representative of the state of Bihar in the form of group insurance. Spouse and two dependent children of media representative will be included in this Insurance Scheme. Age related to eligibility will be 23, in case of son and will be covered up to 25 years if son is studying in any bonafide institutions, and daughter will be covered until marriage.

(ii) Declared / undeclared disease will be under the coverage of insurance, under this insurance scheme, and there will not any condition regarding waiting period.

(iii) This insurance will be valid for a period of one year. There will be provision for renewal, every year, too.

(iv) Maternity related cases will not be covered under mediclaim policy of this insurance scheme.

(v) It will be obligatory to provide "cashless facility" to insurant during the treatment, under the rule-14 of this notification.

(vi) The sum assured will be up to Rs. 5 (five) lacs for the policy of group mediclaim, which will be on floating basis and up to Rs. five lacs in case of personal accident, in this insurance scheme.

(vii) The age limit will be 21-70 years for the media representative, to be insured.

(viii) The minimum educational qualification for the insurance of media representative will be matriculation or its equivalent.

(ix) The copy of appointment letter/ affiliation letter issued by editor/ bureau chief in favour of applicant media representative of being salaried, full time/ part time representative will be enclosed with application form.

(x) Five stamp size photo and certified copy of birth certificate (which will be counter signed by editor/ resident editor / employer/ Bureau Chief) will be enclosed with application form by applicant media representative.

(xi) Photocopy of registration number of the institution will be enclosed with the applications form.

(xii) If applicant media representative comes under coverage of any other insurance scheme or mediclaim policy, the declaration will be enclosed with the application form.

(xiii) The certificate of work experience of minimum 5 (five) years of journalism will be given by editor / resident editor/ employer/ BureauChief for media representative, to be insured.

(xiv) In case of Independent Journalist The photocopy of Press Accreditation Card issued by Information and Public Relations Department, Government of Bihar will be enclosed with the time of application.

(xv) Crossed / cancelled Blank cheque (for the information of ECS facility, MICR and IFSC code) of the concerned bank account mentioned in the application form by applicant Media Representative under his/ her signature will be enclosed with the application form.

(xvi) The receipt of deposition of contribution amount related to insurance will be enclosed by applicant media representative along with application form.

(xvii) Complete details, if media representative is culprit/ accused in any criminal / civil matter, and if not, an affidavit will be enclosed with the application form.

(xviii) Complete details regarding dependants of the applicant media representative will be enclosed along with application form.

(xix) Applicant media representative will have to submit declaration of nominee with their complete details.

(xx) It will be obligatory to intimate, immediately to IPRD and insurance company, by editor / resident editor/ employer/ Bureau Chief which recommend the application, if media representative quit the institution / firm.

(xxi) Audited circulation number (circulation certificate issued by I&B Ministry, Government of India) will be enclosed along with application form.

(xxii) Registration number under the rules of company registration act will be enclosed by news agency.

(xxiii) RNI certificate regarding circulation of daily/ weekly news paper, published out side the state.

(xxiv) Circulation number must be one lakh or its above in case of publication of daily newspaper, outside the Bihar and minimum ten thousand in case of inside the state, certified by R.N.I.

(xxv) There should be a certificate of minimum 10(ten) paid daily news paper clients with circulation number or more than 25 (twenty five) thousand in case of feature / news agency.

(xxvi) In case of media representative, affiliated with private news channel, its telecast must be in minimum 20 districts of the state.

(xxvii) The payment of the fixed amount of the premium, under "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" will be borne out in 80:20 ratios by government of Bihar and applicant media representative respectively.

16. Standard operating procedure, relating to insurance-

(i) An application along with requisite enclosures in prescribed Performa (Appendix A&B) will be submitted to Director, Information and Public Relations Department, Government of Bihar, Patna through their respective District Public Relation Officers, by media representative willing to be insured.

(ii) During the course of application, at first the process of on line filling of application form will be followed on the website of IPRD- "www.prdbihar.gov.in", after which an ID code will be generated.

(iii) The Proforma may be downloaded as a hard copy by applicant journalist, after entry of required column, which will be submitted to respective District Public Relation Officers.

(iv) A hard copy and dully filled Performa as per prescribed procedure the respective District Public Relation Officers will forward all the applications with their recommendations to the Journalist Insurance Scheme Cell working under Press Section at state headquarter level of Information and public Relations Department, Government of Bihar, Patna within five days of its receipt.

(v) "Journalist Insurance Cell" will be constituted in Press Section at State Headquarter level under Information and public Relations Department, Government of Bihar, Patna. It will be monitored by officer in charge (Press).

(vi) An assistant (Ministerial Staff) will be posted in this cell. One data entry operator also will be exclusively posted for Journalist Insurance Scheme work.

(vii) A specific software will be developed for the standard operation of "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" procedure, in which all relevant terms & conditions, related to eligibility to this insurance scheme will be included along with application form.

(viii) District Public Relation Officer will receive this application form in three copies, of which two copies will be made available, collectively to state headquarter, and one copy will be kept under his safe custody.

(ix) A cash book will be maintained by cashier in Information and public Relations Department, Government of Bihar, Patna, in which transaction related to "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" will be entered.

(x) This account will be audited every year by Finance (Audit) Department.

17. The relevance of present Bihar State Journalist welfare fund 2010 will be elapsed automatically after the commencement of "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" and the accumulated fund will be utilized for the payment as a state share for the insurance of media representative. "Bihar Journalists Welfare Fund" will be substituted as "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014" in the budgetary head of Bihar state Journalist welfare fund"- Major head 2220 Information and Publication sub major head 60-other minor head 001 direction and administrative sub head 0001.

18. "Bihar State Journalist Welfare Fund-2010" will be elapsed immediately just after notification of "Bihar State Journalist Insurance Scheme, 2014".

19. Claim- In case of death of policy holder in accident, his/ her nominee member and in case of permanently handicap, to insurant, himself/ herself will be required to deposit the following documents in time, as directed.

20. Required amendment will be made in this insurance scheme, time to time by Information and public Relations Department, Government of Bihar, Patna.

By order of government

(Pratyaya Amrit)
Secretary,
Information and Public Relations Department,
Bihar, Patna

Memo No. Press (Section) 212/2014-324-IPRD, Patna, Dated-26/5/2014

Copy to Deputy Secretary, E-Gazette Section, Finance Department with two hard copy and CD, to publish in Bihar Gazette.

Secretary,

Memo No. Press (Section) 212/2014-324-IPRD, Patna, Dated-26/5/2014

Copy to Superintendent, Government Printing Publishing Press, Patna for Publication in forth coming edition Bihar Gazette, with two hard copy of Resolution and CD.

2- A request is made to provide 100 copies of this Bihar Gazette to this department.

Secretary,

Memo No. Press (Section) 212/2014-324-IPRD, Patna, Dated-26/5/2014

Copy to Accountant General, Bihar for information and necessary action

Secretary

Memo No. Press (Section) 212/2014-324-IPRD, Patna, Dated-26/5/2014

Copy to all departments / all Head of the departments for information and necessary action.

Secretary

IPRD-------

"बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014"

नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

(सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा बीमा कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से जारी विहित प्रपत्र)
तीन मूल प्रतियों में भरे जायेंगे

आवेदक बीमाधारक का फोटोग्राफ

प्रेषक,

संपादक / नियोजक / ब्यूरो प्रमुख,
....
....

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

माध्यमः– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
....

महोदय,

.... (समाचार पत्र / पत्रिका / समाचार एजेंसी / इलेक्ट्रोनिक मीडिया / न्यूज पोर्टल का नाम) के श्री / श्रीमती / सुश्री .... (नाम एवं पदनाम) बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 से आच्छादित है, जिसका बीमा कार्ड संख्या–................ है।

संस्थान का विस्तृत विवरण (जिस मीडिया संस्थान से बीमा आच्छादित है) :–

i. प्रिंट मीडिया / न्यूज मीडिया / इलेक्ट्रोनिक मीडिया का नाम
ii. मीडिया संस्थान का पूरा पता :–
iii. दूरभाष / मोबाईल

आवेदक / आवेदिका संबंधी विवरण :–

i. पूरा नाम
ii. पिता / पति का नाम
iii. स्थायी पता
iv. पत्राचार का पता
v. वर्तमान कार्यस्थल
vi. वर्तमान कार्यस्थल में नियुक्ति की तिथि
vii. फोन नम्बर / ई–मेल
viii. आवेदक द्वारा बीमा विषयक अंशदान की कुल राशि .... चेक / बैंक ड्राफ्ट नं0 ...., तिथि...................... को .... बैंक की ....शाखा में भुगतान किया गया,
ix. आवेदक द्वारा किए गये बीमा विषयक अंशदान के काउंटर फॉइल की प्रति संलग्न।

x. आश्रित परिजनों का विवरण

क्र0	नाम	जन्म तिथि	अनुमानित उम्र	संबंध	महिला / पुरूष

i. नामांकिती का विवरण

क्र0	नाम	जन्म तिथि	अनुमानित उम्र	संबंध	महिला / पुरूष

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाएँ पूर्णतः सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / सुश्री.. इस संस्थान में............................के पद पर कार्यरत है।

संपादक / नियोजक / ब्यूरों प्रमुख का हस्ताक्षर एवं मुहर

(जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे जाने हेतु)
जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी .... कार्यालय

ज्ञापांक–....................................... / दिनांक–...............................

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अन्तर्गत श्री / श्रीमती / सुश्री .... (संवाददाता / छायाकार का नाम) .... (पदनाम) .... (स्थान) से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन की दो प्रतियों को नवीकरण हेतु अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जाता है।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी

(सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर पर भरे जाने हेतु)

सेवा में,

सीनियर डिविजनल मैनेजर
नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
पटना मंडल कार्यालय–1, एक्जीविशन रोड
पटना (बिहार)।

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत श्री / श्रीमती / सुश्री.. ....(संवाददाता / छायाकार का नाम)..................................(पदनाम).................................. ..(स्थान) से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन की एक प्रति को नवीकरण हेतु अग्रसारित किया जाता है। इनकी बीमा स्वीकृति प्रतिवेदन भेजे जायें।

दिनांक–
स्थान–

प्रभारी (प्रेस),
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन,
पटना (बिहार)।

IPRD-------

"बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014"

आवेदन प्रपत्र

(विहित प्रपत्र में आवेदन तीन प्रति में वांछित अनुलग्नकों के साथ जमा होगा)

परिशिष्ट "क"

आवेदक बीमाधारक का फोटोग्राफ

सेवा में,

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

माध्यमः– संपादक / स्थानीय संपादक / नियोजक / ब्यूरो प्रमुख

....

प्रिय महोदय / महोदया,

.... (समाचार पत्र / पत्रिका / समाचार एजेंसी / इलेक्ट्रोनिक मीडिया / न्यूज पोर्टल का नाम) श्री / श्रीमती / सुश्री .... को बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 से आच्छादित किया जाये।

(क) संस्थान का विस्तृत विवरण :–

i. प्रिंट मीडिया / न्यूज मीडिया / इलेक्ट्रोनिक मीडिया का नाम
ii. मीडिया संस्थान का पूरा पता :–
iii. दूरभाष / मोबाईल

(A) प्रिन्ट मीडिया हेतु

a) * प्रकाशन आवृत्ति– मासिक / पाक्षिक / साप्ताहिक / दैनिक
b) राज्य के बाहर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की आर0एन0आई द्वारा प्रमाणित एक लाख या उससे अधिक प्रसार संख्या हो तथा राज्य में उसकी प्रसार संख्या न्यूनतम दस हजार हो, एतद्विषयक प्रमाणित प्रति।

(B) न्यूज मीडिया हेतु :–

a) निबंधन संख्या (Company Registration Act के तहत)
b) समाचार वितरण की पद्धति :–
c) प्रकाशन / प्रसारण अवधि
d) सर्विस स्वरूपः वायर / नॉन वायर
e) एजेंसी स्वरूपः न्यूज फीचर एजेंसी / न्यूज एजेंसी / इलेक्ट्रोनिक मीडिया एजेंसी / न्यूज पोर्टल
f) मीडिया संस्थानों के नाम, जिन्हें सेवा उपलब्ध की जाती है :–
g) अन्य संस्थाएँ, जिन्हें सेवा उपलब्ध की जाती है :–

(C) इलेक्ट्रोनिक मीडिया :–

a) प्रसारण अवधिः–

b) प्रसारण क्षेत्र :–

c) प्रसारण माध्यम का विवरण (केबुल अथवा सेटेलाइट)

(ख) आवेदक/आवेदिका संबंधी विवरण :–

i. पूरा नाम

ii. पिता/पति का नाम

iii. स्थायी पता

iv. पत्राचार का पता

v. वर्तमान कार्यस्थल

vi. वर्तमान कार्यस्थल में नियुक्ति की तिथि

vii. शैक्षणिक योग्यता

viii. जन्मतिथि (मैट्रिक उत्तीर्ण की सत्यापित प्रति अनुलग्न)।

ix. अनुमानित उम्र

x. फोन नम्बर/ई–मेल

xi. पत्रकारिता का अनुभव

क्र0	संस्थान का नाम	पद	सेवा अवधि तिथि सहित

xii. संपादक/स्थानीय संपादक/नियोजक/ब्यूरो प्रमुख द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र/संबद्धता प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति (अनुलग्नक संलग्न)।

xiii. आवेदक द्वारा पांच स्टाम्प साइज फोटो तथा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (अनुलग्नक संलग्न)।

xiv. किसी भी अन्य बीमा योजना अथवा मेडिक्लेम पॉलिसी से आच्छादित हों तो उसका विवरण :–

xv. स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा आवेदन के समय मान्य प्रेस प्रमाण पत्र (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत) की फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न।

xvi. आई0डी0 कार्ड की फोटो प्रति अनुलग्न (वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पास बुक/ पासपोर्ट/आधार कार्ड)

xvii. आवेदक द्वारा बीमा विषयक अंशदान की कुल राशि .... चेक/बैंक ड्राफ्ट नं0 ...., तिथि......................को .... बैंक की ....शाखा में भुगतान किया गया, (यह DIRECTOR, INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT, GOVERNMENT OF BIHAR के पदनाम से संधारित भारतीय स्टेट बैंक के बचत **खाता संख्या–33653416977** में जमा होगा)।

xviii. आवेदक बीमा धारक संचार प्रतिनिधि द्वारा उनके बैंक एकाउन्ट के चेक बुक से उनके हस्ताक्षर से निर्गत कास्ड तथा कैंसिल्ड ब्लैंक चेक (ई0सी0एस0 सुविधा, एम0आई0सी0आर0 तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड हेतु) संलग्न।

xix. आवेदक द्वारा किए गये बीमा विषयक अंशदान के काउंटर फॉइल की प्रति संलग्न।

xx. आवेदक किसी आपराधिक/न्यायिक मामले में अभियुक्त/आरोपी है, तो पूर्ण विवरण/शपथ पत्र।

xxi. आश्रित परिजनों का विवरण

क्र0	नाम	जन्म तिथि	अनुमानित उम्र	संबंध	महिला / पुरूष

i. सभी वर्णित आश्रितों के जन्म तिथि तथा पहचान संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज अनुलग्न (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / बैंक पास बुक / पासपोर्ट की फोटो प्रति तथा माइनर के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र की फोटोप्रति)

ii. सभी वर्णित आश्रितों के दो–दो फोटो संलग्न (जो आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित)

iii. नामांकिती का विवरण

क्र0	नाम	जन्म तिथि	अनुमानित उम्र	संबंध	महिला / पुरूष

i. सभी वर्णित नामांकिती के जन्म तिथि तथा पहचान संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज अनुलग्न (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / बैंक पास बुक / पासपोर्ट की फोटो प्रति तथा माइनर के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र की फोटोप्रति)

ii. सभी वर्णित नामांकिती के दो–दो फोटो संलग्न (जो आवेदक संचार प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित)

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाएँ पूर्णतः सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

*** जो विकल्प लागू न हों उसे काट दें।**

....

आवेदन पत्र, वांछित सूचना / शपथ पत्र के आधार पर अनुशंसित एवं अग्रसारित

....

सम्पादक / नियोजक / ब्यूरो प्रमुख का हस्ताक्षर

(जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे जाने हेतु)

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी .... कार्यालय

ज्ञापांक–../ दिनांक–.................................

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अन्तर्गत श्री / श्रीमती / सुश्री .... (संवाददाता / छायाकार का नाम) .... (पदनाम) .... (स्थान) से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन की दो प्रतियों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जाता है।

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी

परिशिष्ट–ख

शपथ–पत्र
(नौट्री पब्लिक का)

मैं .... उम्र........................ वर्ष, पिता/पति...

निवासी .... पत्रालय ....थाना ....

जिला .... घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि

1. मैं .... (प्रिंट मीडिया/ न्यूज मीडिया/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया का नाम) .... स्थान पर विगत वर्षो .... एवं माह .... से पूर्णकालिक/ अंशकालिक /संविदा/सहयोग के आधार पर नियुक्त तथा कार्यरत हूँ। (जो विकल्प लागू नहीं हैं, उन्हें काट दें)।
2. आवेदन पत्र में विहित क्रमांक 'ख' xi में वर्णित तथ्यानुसार कुल......... वर्षो का अनुभव है (न्यूनतम कुल पाँच वर्ष के अनुभव की अर्हता पूर्ण)
3. विहित प्रपत्र में भरी गई तथा उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं।
4. मैं बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, 2014 संबंधी नियमावली तथा नियमावली के तहत विहित पात्रता तथा शर्त्तो से अवगत हूँ।
5. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गई सारी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य है। मैं किसी आपराधिक/न्यायिक मामले में अभियुक्त/आरोपी नहीं हूँ।

शपथकर्ता

दिनांक :–

स्थान :–

परिशिष्ट–ग

(सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय स्तर पर भरे जाने हेतु)

सेवा में,

(बीमा कम्पनी का नाम)

बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत श्री/श्रीमती/सुश्री................................ ....(संवाददाता/छायाकार का नाम)..................... ....(पदनाम)...................................(स्थान) से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन की एक प्रति को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। इनके बीमा स्वीकृति प्रतिवेदन भेजे जायें।

दिनांक–
स्थान–

प्रभारी (प्रेस),
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन,
पटना (बिहार)

BIHAR STATE PATRAKAR BIMA YOJNA-2020-21 (INSURED FAMILY PHOTO LIST)

Sl. No.	District	Name	Relation	Designation	Media	Date of Birth	Photograph
1	(TYPE IN ENGLISH CAPITAL LETTER)						
2	(TYPE IN ENGLISH CAPITAL LETTER)						
3	(TYPE IN ENGLISH CAPITAL LETTER)						
4	(TYPE IN ENGLISH CAPITAL LETTER)						

SIGNATURE OF INSURED ---